<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 28.06.2024</u>

<u>चोरी से सागौन की लकडी काटने के आरोप में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अदद पिकअप व 05 बोटा सागौन बरामद –</u>

गोण्डा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0–327/24, धारा 379,411 भादवि व 26/41/42 भारतीय वन अधि0 से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त सोनू मौर्या को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद पिकअप व 05 बोटा सागौन की लकड़ी बरामद।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

आज दिनांक 28.06.2024 को योगेश प्रताप मिश्रा वन रक्षक द्वारा थाना को0 मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि आज दिनांक 28.06.2024 को अभियुक्त सोनू मौर्य अपने साथियों के साथ जगल के प्रतिबन्धित सागौन के पेड़ को काट रहा था जिसको मेरे द्वारा पकड़ लिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना मनकापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

01. सोनू मौर्या पुत्र ओमप्रकाश मौर्या नि0 जटमलपुर वजीरगंज जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–327/24, धारा 379,411 भादवि व 26/41/42 भारतीय वन अधि0 थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. वन दरोगा आज्ञाराम मौर्या मय टीम।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट

दिनांक 28.06.2024, मानिटरिंग सेल

जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर एक्ट में आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष का कारावास व 10,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के आरोपी सोनू पुत्र अमीन को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना करनलैगंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के आरोप में अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री दानबहादुर सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश गैंगस्टर एक्ट श्री राजबहादुर रामदेव यादव महोदय द्वारा अभियुक्त सोनू को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. सोनू पुत्र अमीन निवासी नई बाजार, थाना कोतवाली कर्नैलंगज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-655/2010, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>दिनांक 28.06.2024, मानिटरिंग सेल</u>

<u>जनपद गोण्डा।</u>

<u>'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर एक्ट में आरोपी अभियुक्त को हुई 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा-</u>

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के आरोपी दीपक पुत्र चन्द्रभान निवासी खड़हवा लम्हरिया थाना खोडारे जनपद गोण्डा को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के आरोप में अभियुक्त दीपक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री दानबहादुर सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना खोडारे के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश गैंगस्टर एक्ट श्री राजबहादुर रामदेव यादव महोदय द्वारा अभियुक्त दीपक को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

<u>अभियुक्त का नाम पता-</u>

01. दीपक पुत्र चन्द्रभान निवासी खड़हवा लम्हरिया थाना खोडारे जनपद गोण्डा

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

01. मु0अ0सं0-175/2022, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना खोडारे जनपद गोण्डा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट

दिनांक 28.06.2024

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी गोण्डा श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रांजल मिश्रा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 28.06.2024 को थाना को0 नगर के उ0नि0 अमरनाथ मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में शांति व्यवस्था हेतु रवाना थे कि सूचना प्राप्त हुई कि गायत्रीपुरम चौराहे से लखनऊ रोड की तरफ एक व्यक्ति अवैध तमंचा लेकर आ रहा है। सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुॅचकर उक्त अभियुक्त को रोक टोक कर चेक किया गया तो उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर स्थानीय थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. प्रांजल मिश्रा पुत्र श्रीकान्त मिश्रा नि0 पूरे शिवा बख्तावर को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

पंजीकृत अभियोग–

01- मु0अ0स0–473/2024 धारा 3/25 आर्म्स अधिनियम थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अमरनाथ।
02. हे0का0 मनोज कुमार यादव।
03. का0 विजय कुमार सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 28.06.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में पुलिस लाइन सभागार कक्ष में 03 नए कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) के संबंध में पुलिस के कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षणः-

गोण्डा। आज दिनांक 28/06/2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में केन्द्र सरकार द्वारा नव निर्मित आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत प्रशिक्षण एंव कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के नेतृत्व में प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक सुश्री नित्या गोश्वामी व SPO श्री रामबली द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में उपस्थित पुलिस कर्मचारियों को 03 नए कानूनों (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।

महोदय द्वारा बताया गया कि नए कानून (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधि0 2023) एक जुलाई से लागू हो रहे है। इन नए कानूनों के लागू होने से अपराध एव अपराधियों पर और प्रभावी ढंग से शिंकजा कसा जा सकेगा। इन तीन नए प्रमुख कानूनों का उद्देश्य दंड देने की बजाय न्याय देना है। नए कानूनों में फोरेंसिक साक्ष्य संकलन और फॉरेसिंक लैब की स्थापना पर विशेष बल दिया गया है तथा इन कानूनों में ई-रिकार्ड का प्रावधान किया गया है अपराध की सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल पर विचार किए बिना जीरो एफ0आई0आर0 दर्ज किया जाएगा। ई0 एफ0आई0आर0 व चार्जशीट डिजिटल होगे। 07 साल या उससे अधिक की सजा वाले गंभीर अपराधों में फॉरेसिक टीम द्वारा विज्ञानिक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही को अनिवार्य किया गया है। थाने से कोर्ट तक की सभी प्रक्रिया आनलाइन होगी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 28.06.2024, मॉनिटरिंग सेल</u>
<u>जनपद गोण्डा।</u>

<u>'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से हत्या के प्रयास में 04 आरोपी अभियुक्तों को हुई 07-07 वर्षो का कठोर कारावास व प्रत्येक को रूपए 16,000/- के अर्थदण्ड की सजा-</u>

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप हत्या के प्रयास में आरोपी अभियुक्तों 01. अरविन्द पाठक, 02. मैनबहादुर पाठक, 03. घनश्याम पाठक व 04. मनीष पाठक को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को रु0 16,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में आरोपी अभियुक्त 01. अरविन्द पाठक, 02. मैनबहादुर पाठक, 03. घनश्याम पाठक व 04. मनीष पाठक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री हर्षवर्धन पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर व थाना नवाबगंज के पैरोकार द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा कोर्ट श्री सूर्यप्रकाश सिंह महोदय द्वारा 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को रू0 16,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।

<u>अभियुक्त का नाम पता-</u>
01. अरविन्द पाठक पुत्र घनश्याम पाठक निवासी ग्राम पंडितपुरवा चौखडिया थाना नवाबगंज, गोण्डा।
02. मैनबहादुर पाठक पुत्र घनश्याम पाठक निवासी ग्राम पंडितपुरवा चौखडिया थाना नवाबगंज, गोण्डा।
03. घनश्याम पाठक पुत्र अवधनरायन पाठक निवासी ग्राम पंडितपुरवा चौखडिया थाना नवाबगंज, गोण्डा।
03. मनीष पाठक निवासी ग्राम पंडितपुरवा चौखडिया थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>
01. मु0अ0सं0-605/16 धारा 307/34, 504, 506, भादवि थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>